

Signature and Name of Invigilator

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

(In figures as per admission card)

1. (Signature) _____
(Name) _____

Roll No. _____
(In words)

2. (Signature) _____
(Name) _____

Test Booklet No.

J-9206

PAPER-III
HUMAN RIGHTS AND
DUTIES

Time : 2½ hours]

[Maximum Marks : 200

Number of Pages in this Booklet : 32

Number of Questions in this Booklet : 26

Instructions for the Candidates

1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.
2. Answers to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

No Additional Sheets are to be used.

3. At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :

(i) To have access to the Test Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.

(ii) Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the question booklet will be replaced nor any extra time will be given.

4. Read instructions given inside carefully.
5. One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
6. If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
7. You have to return the Test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
8. Use only Blue/Black Ball point pen.
9. Use of any calculator or log table etc. is prohibited.
10. There is NO negative marking.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
2. लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुये रिक्त स्थान पर ही लिखिये।

इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है।

3. परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :

(i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।

(ii) कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

4. अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
5. उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है।
6. यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।
7. आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें।
8. केवल नीले / काले बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें।
9. किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।
10. गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे।

HUMAN RIGHTS AND DUTIES

मानव अधिकार एवं कर्तव्य

PAPER – III

प्रश्न-पत्र – III

NOTE: This paper is of two hundred (200) marks containing four (4) sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंको का है एवं इसमें चार (4) खंड है। अभ्यर्थियों को इन में समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है।

SECTION - I

खण्ड – I

Note : This section contains five (5) questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about thirty (30) words and each carries five (5) marks.

(5x5=25 marks)

नोट : इस खंड में निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंको का है।

(5x5=25 अंक)

“A portion of mankind may be said to constitute a Nationality, if they are united among themselves by common sympathies, which do not exist between them and any others - which make them co-operate with each other more willingly than with other people, desire to be under the same government, and desire that it should be government by themselves or a portion of themselves, exclusively. This feeling of nationality may have been generated by various causes. Sometimes it is the effect of identity of race and descent. Community of language, and community of religion, greatly contribute to it. Geographical limits are one of its causes. But the strongest of all is identity of political antecedents; the possession of a national history, and consequent community of recollections; collective pride and humiliation, pleasure and regret, connected with the same incidents in the past. Where the sentiment of nationality exists in any force, there is a prima facie case for uniting all the members of the nationality under the same government, and a government to themselves apart. This is merely saying that the question of government ought to be decided by the governed. But, when a people are ripe for free institutions, there is a still more vital consideration. Free institutions, are next to impossible in a country made up of different nationalities. Among a people without fellow - feeling, especially if they read and speak different languages, the united public opinion, necessary to the working of representative government, cannot exist. The influences which form opinions and decide political acts, are different in the different sections of the country. An altogether different set of leaders have the confidence of one part of the country and of another”.

मानवता के कुछ अंश, एक राष्ट्रियता तभी कहला सकते हैं, जब वे आपस में किसी सामान्य सहानुभूति के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। यह सहानुभूति उनमें तथा अन्य दूसरों के मध्य नहीं होती है तथा जो सहानुभूति उनमें दूसरों की बजाय, एक दूसरे के प्रति सहर्ष सहयोग करने की प्रवृत्ति पैदा करती है तथा उसी सरकार के

अधीन रहने की इच्छा या पूर्णतः यह इच्छा कि उनके द्वारा ही बनी हुई सरकार हो या फिर उनके ही एक अंश के द्वारा। राष्ट्रियता की यह अनुभूति विभिन्न तरीकों से पैदा की जा सकती है। कभी-कभी यह किसी जाती और वंश की पहचान का प्रभाव होती है। समुदाय की भाषा, समुदाय के धर्म का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है।

भौगोलिक सीमायें भी अन्य कारणों में से एक कारण हैं। लेकिन इन सबसे अधिक बड़ा कारण है – राजनैतिक पूर्ववर्तिता, राष्ट्रीय इतिहास की अवस्थिति, पूर्वस्मृति के परिणामस्वरूप बना समाज, सामूहिक प्रतिष्ठा तथा बेइज्जती, खुशी और खेद, जो पूर्व (भूतकाल) की उसी घटना से सम्बद्ध रहे। जब कभी राष्ट्रियता की भावना, किसी शक्ति में निहित होती है, तब प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि उसी एक सरकार के अधीन, राष्ट्रियता के लिए सभी सदस्य एकजुट हैं तथा एक सरकार उन सबसे अलग भी है। यह केवल कहा ही जाता है कि शासित लोगों के द्वारा सरकार को चुनने का निर्णय किया जाना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब जनता स्वतंत्र संस्थाओं के लिए-परिपक्व हो, ऐसी स्थिति में अबतक विशद संभावनायें मौजूद हैं।

किसी भी देश में जहाँ विभिन्न राष्ट्रियता मौजूद है, स्वतंत्र संस्थानों की अवधारणा बहुत मुश्किल है। उन लोगों के बीच भाईचारे की भावना भी नहीं है विशेषतः जब वे विभिन्न भाषाओं में पढ़ते और बोलते हैं, प्रतिनिधित्व करनेवाली सरकार को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक एक जनमत स्थापित ही नहीं हो सकता। वे प्रभाव जो मत निर्मित करते हैं तथा राजनैतिक कार्यों का निर्णय लेते हैं, वे हर देश के विभिन्न वर्गों में अलग-अलग होंगे। एकदम दूसरे ढंग के नेताओं को देश के एक क्षेत्र का विश्वास प्राप्त होगा तथा दूसरों को दूसरे क्षेत्र का।

1. How does the author define the concept of nationality ?

राष्ट्रियता की अवधारणा को लेखक ने किस तरह से परिभाषित किया है।

2. Bringout the various elements which constitute a nationality.

राष्ट्रीयता को निर्मित करनेवाले विभिन्न तत्वों का विवरण दें।

3. Under what circumstances, free institutions become impossible in a society ?

किन परिस्थितियों में किसी समाज में स्वतंत्र संस्थाओं का संचालन असंभव है।

SECTION - III

खण्ड – III

Note : This section contains five (5) questions of twelve (12) marks each.
Each question is to be answered in about two hundred (200) words.
(12x5=60 marks)

नोट : इस खंड में बारह (12) अंकों के पाँच (5) प्रश्न हैं। हर प्रश्न का उत्तर लगभग (200) शब्दों में अपेक्षित है।
(12x5=60 अंक)

21. Describe the salient features of the convention on the Rights of Child 1989.

बच्चों के अधिकार 1989 के समझौते की मुख्य विशेषतायें वर्णित कीजिए।

22. Write an essay on the Constitutional and legal provisions in India, for protecting the human rights of Dalits.

दलितों की रक्षा के लिए भारत में जो संविधानिक और विधिक मानवाधिकार हैं, उनके विषय में संक्षिप्त निबन्ध लिखें।

23. Briefly explain the changing context of human rights due to globalization.

वैश्वीकरण के प्रभाव से मानवाधिकार के बदलते संदर्भों पर संक्षिप्त चर्चा करें।

24. Examine the relationship between the anti - terrorism laws and protection of human rights in India.

भारतवर्ष के उग्रवाद विरोधी कानून तथा मानवाधिकार के मध्य क्या सम्बन्ध है, विचार प्रस्तुत कीजिए।

25. Explain the concept and relevance of the Right to self - determination.

आत्मनिर्णय के अधिकार की अवधारणा तथा उसकी उपयुक्तता पर विचार प्रस्तुत कीजिए।

SECTION - IV

खण्ड – IV

Note : This section consists of one essay type question of forty (40) marks to be answered in about one thousand (1000) words on any of the following topics. This question carries 40 marks.

(40x1=40 marks)

नोट : इस खंड में एक चालीस (40) अंको का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्नलिखित विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शब्दों में अपेक्षित है।

(40x1=40 अंक)

26. Critically examine the universal declaration of Human Rights and bringout its impact on the constitutions of the 'New States'.

मानवाधिकार की विश्व उद्घोषणा पर आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत कीजिए तथा 'नये राज्यों' के गठन पर इसके प्रभाव की आलोचनात्मक जाँच कीजिए।

OR / अथवा

Discuss the issues involved in the international intervention for the protection of human rights.

मानवाधिकार की सुरक्षा में, अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के कौन से तत्व शामिल हैं, वर्णन कीजिए।

OR / अथवा

Assess the role of Indian Judiciary in protecting human rights. Illustrate your answer with suitable examples.

मानवाधिकार की रक्षा में भारतीय न्याय व्यवस्था की क्या भूमिका है? सोदाहरण उत्तर दीजिए।

FOR OFFICE USE ONLY							
Marks Obtained							
Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	
25		50		75		100	

Total Marks Obtained (in words)

(in figures)

Signature & Name of the Coordinator

(Evaluation) Date